समाधान सार्वभौमिक है

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-राजेंद्रन नारायणन (प्रोफेसर, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु),देबमाल्या नंदी (सामाजिक कार्यकर्त्ता)

11 फरवरी, 2019

"पीएम-किसान जैसी लक्षित नकदी हस्तांतरण योजना की तुलना में मनरेगा को मजबूत करना अधिक विवेकपूर्ण होगा।"

ग्रामीण संकट अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गया है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, बेरोजगारी 45 वर्षों में अपनी सबसे चरम सीमा पर है। हालांकि, सरकार ने इस संकट के संदर्भ में उठ रहे कई सवालों को दूर करने के लिए, इस बार बजट में 'कमजोर भूमिहीन किसान परिवारों, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है, को प्रति वर्ष 6,000 रूपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।'

इस नकद हस्तांतरण योजना को प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-किसान) का नाम दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अपनी आधार संख्या के साथ सभी योग्य लाभार्थियों का एक डेटाबेस तैयार करने और भूमि रिकॉर्ड को 'शीघ्रता से' अपडेट करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि यदि भूमि रिकॉर्ड में 1 फरवरी, 2019 के बाद बदलाव किया गया है, तो उस भूमि को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

एक तुलनात्मक अध्ययन

निस्संदेह, किसानों के संकट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम-किसान एक उचित समाधान है? इस आलेख में इन्हीं बातों पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के साथ कुछ बुनियादी संख्याओं की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर झारखंड में एक घर के दो सदस्य 30 दिनों के लिए मनरेगा के तहत काम करते हैं, तो वे 10,080 रूपए कमाते हैं और वहीं हरियाणा में एक घर के दो सदस्य 30 दिनों में 16,860 कमाएंगें। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में दैनिक मनरेगा मजदूरी दर सबसे कम है और हरियाणा में सबसे ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें, तो एक घर के लिए मनरेगा की कमाई का एक महीना देश में कहीं भी पीएम-किसान के माध्यम से एक साल की आय से अधिक है।

पीएम-किसान एक लक्षित नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है और मनरेगा एक सार्वभौमिक कार्यक्रम है। मैनुअल काम करने के लिए इच्छुक कोई भी ग्रामीण परिवार अधिनियम के तहत पात्र है। 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के अनुसार, लगभग 40% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं और मैनुअल श्रम पर निर्भर हैं। भूमिहीन मनरेगा के माध्यम से कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें पीएम-किसान योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।

इसके अलावा, इस योजना में यह भी स्पष्ट नहीं है कि पट्टेदार किसान और महिला किसान योजना के दायरे में कैसे आएंगे। यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि सार्वभौमिक योजनाएँ लक्षित योजनाओं की तुलना में भ्रष्टाचार से कम प्रभावित होती हैं। लक्षित कार्यक्रमों में, बहिष्करण की त्रुटियां होना बहुत आम बात है अर्थात, इसमें वास्तविक लाभार्थियों को छोड़ दिया जाता है। इस तरह की त्रुटियाँ अनियंत्रित हो जाती हैं और कई लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएम-किसान जैसी लक्षित नकदी हस्तांतरण योजना की तुलना में मनरेगा को मजबूत करना अधिक विवेकपूर्ण होगा।

कृषि मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि 'धनराशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में (भारत सरकार द्वारा) स्टेट नेशनल अकाउंट के माध्यम से मनरेगा की भांति ही समान पैटर्न पर हस्तांतरित किया जाएगा।' हमें मनरेगा कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण सबक सीखने की आवश्यकता है। हालाकि, केंद्र ने मनरेगा में मजदूरी भुगतान प्रणाली के साथ अक्सर छेड़छाड़ की है। समय-समय पर भुगतान-आदेशों में सुधार हुआ है, लेकिन यह क्रेडिट के दावों के विपरीत है, क्योंकि समय पर भुगतान होने के आंकड़े एक तिहाई से भी कम हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद, केंद्र अभी भी मजदूरी देने में 50 दिनों से अधिक समय लगा रहा है।

क्षेत्र की वास्तविकताएं

इसके अलावा, प्रक्रियाओं में बार-बार बदलाव के परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर जल्दबाजी में नौकरशाही की पुनरावृत्ति होती है और श्रमिकों एवं क्षेत्र के अधिकारियों के बीच अराजकता फैलती है। क्षेत्रीय अधिकारियों को कठोर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे रखा जाता है। लघु-कर्मचारी और अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होने के कारण, कई तकनीकी और अप्रत्याशित त्रुटियां देखने को मिलती हैं। कई मनरेगा भुगतान को अस्वीकार या हटा दिया गया है। पिछले चार वर्षों में अकेले, गलत खाता संख्या या दोषपूर्ण आधार मानचित्रण जैसी तकनीकी त्रुटियों के कारण 1,300 करोड़ रुपये से अधिक मनरेगा मजदूरी भुगतान को अस्वीकार कर दिया गया है।

इन्हें सुधारने के लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा-निर्देश अभी तक नहीं दिए गए हैं। मनरेगा भुगतान के कई मामले एयरटेल वॉलेट

और आईसीआईसीआई बैंक खातों में आ रहे हैं। आधार-आधारित भुगतान के लिए झारखंड के सामान्य सेवा केंद्रों पर हाल ही में संपन्न सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के 42% प्रयास पहले प्रयास में विफल रहे है। लोगों द्वारा सामना किए गए इस निरंतर उत्पीड़न को शुरुआती समस्याओं के रूप में अलग से ठीक करने के बजाय एक और इसी तरह के अस्थिर प्लेटफार्मों पर एक नई योजना का निर्माण कहीं से उचित नहीं दिखता।

विश्वसनीय डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और विश्वसनीय ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना पर ही पीएम-किसान की सफलता निर्भर है। जहाँ एक तरफ इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है, वहीं दूसरी तरफ मनरेगा को एक गंभीर संकट की ओर धकेलना जारी है। 2019-20 के लिए मनरेगा आवंटन, 60,000 करोड़ रुपये है, जो 2018-19 में 61,084 करोड़ रुपये के संशोधित बजट से कम है। पिछले चार वर्षों में, औसतन बजट आवंटन का लगभग 20% पिछले वर्षों से लंबित है।

इस प्रकार, लंबित देनदारियों को घटाकर, वास्तविक रूप से, बजट आवंटन 2010-11 की तुलना में कम रहा है। जनवरी, 2019 में (8 फरवरी तक) नागरिकों और सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गये एक पत्र के बावजूद, सभी मनरेगा धन क्षीण हो गए हैं। मनरेगा न तो एक आय सहायता कार्यक्रम है और न ही एक परिसंपत्ति निर्माण कार्यक्रम है। यह सामुदायिक कार्यों के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक श्रम कार्यक्रम है। यह जीवन के अधिकार के संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करने के लिए एक विधायी तंत्र है।

इन सबके बावजूद, 18 राज्यों में मनरेगा की मजदूरी दरों को राज्यों की न्यूनतम कृषि मजदूरी दरों से कम रखा गया है। यह भूमिहीनों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है। फिर भी, काम की मांग इस साल प्रदान किए गए रोजगार से 33% अधिक रही है। इस अधिनियम को नियमित रूप से कम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक गारंटी को कम कर रही है।

एक रोजगार कार्यक्रम में, धन आवंटन और सम्मानजनक मजदूरी की पर्याप्तता महत्वपूर्ण है, इसलिए 'उच्चतम आवंटन' और प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से अन्य संदिग्ध दावे लोकतंत्र के लिए अस्वास्थ्यकर हैं।

अंत में सवाल यह है कि क्या ऐसे गंभीर संकट के समय केंद्र सरकार को किसानों की आय बढ़ाने का ढोंग करने वाले कार्यक्रम के बजाय मनरेगा के मौजूदा बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने पर विचार नहीं करना चाहिए?

GS World टीम...

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM - KISAN)

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना शुरू करने की घोषणा की है।
- यह कार्यक्रम 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया जायेगा और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया जायेगा।
- इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभांवित होने की उम्मीद है।
- इसके तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत के किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलेंगे।
- यह राशि 2,000 रूपए प्रत्येक की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के खाते में आएगी।
- इस योजना पर सालाना 75 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया है।

आंकड़ों के अनुसार

- किसानों के पास उपलब्ध जमीन का आँकड़ा 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस में है। उसके बाद से यह सर्वे नहीं किया गया।
- इससे पता चलता है कि 86.2 प्रतिशत किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है।
- ऐसे किसानों की सबसे अधिक संख्या (2.21 करोड़) उत्तर प्रदेश में है।
- इसके बाद बिहार का नंबर आता है।

मनरेगा

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक ऐसा मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्यग अकुशल व शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों के मजदूरी (रोजगार) की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

प्रमुख उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की अकुशल मजदूरी उपलब्धं कराना, जिससे निर्धारित गुणवत्ता और स्थातयित्व वाली उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हो।
- गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देना।
- सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।

प्रमुख कार्य

- जल संरक्षण या जल संग्रहण की योजना से संबंधित सूखा बचाव कार्य: जैसे- पेड़ लगाना या वनों का विकास करना।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों या भूमि सुधार से लाभ पाने वालों के लिये सिंचाई की व्यवस्था करवाने से संबंधित।
- झीलों व तालाबों की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य। भूमि सुधार व गाँवों को सड़क से जोड़ने का कार्य।
- बाढ़ नियंत्रण-सुरक्षा, जल-जमाव क्षेत्रों में जल निकासी से संबंधित।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. इसे 1 दिसम्बर, 2018 को लागू किया गया।
   2. इस योजना से छोटे और सीमांत किसान के परिवारों को लाभ मिलेगा।
   3. इसके तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत के किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये मिलेगें।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

1. **Consider the following statements regarding Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi-**

   1. It was implemented in December 1, 2018.
   2. This scheme will benefit small and marginalised farmer families.
   3. Through this the farmers having small land holding upto 2 hectare will get Rs. 6,000 annually.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) 1 and 2
   (b) 2 and 3
   (c) 1 and 3
   (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः हाल ही में केन्द्र सरकार ने मनरेगा के मौजूदा बुनियादी ढाँचे में सुधार करने की बजाय, पीएम-किसान जैसी लक्षित योजनाओं की शुरूआत की है, यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल होगी? चर्चा कीजिए।

Q. Recently the Central government has launched PM- KISAN like designated schemes instead of reforming the basic structure of present MGNREGA. To what extent it will be successful in achieving its objectives? Discuss.

(250 Words)

नोट : 9 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

World Committed To Excellence